
इकाई 7 बदलती पारिवारिक संरचना

इकाई की रूपरेखा

- 7.0 उद्देश्य
- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 परिवार: परिभाषा और प्रकार
 - 7.2.1 परिभाषा
 - 7.2.2 परिवार के प्रकार
- 7.3 पारिवारिक संरचना को प्रभावित करने वाले कारक
 - 7.3.1 औद्योगीकरण
 - 7.3.2 शहरीकरण
 - 7.3.3 आधुनिकीकरण
 - 7.3.4 पारिवारिक संरचनाओं में परिवर्तन: एक दृष्टिकोण
- 7.4 संयुक्त परिवार व्यवस्था में परिवर्तन
- 7.5 ग्रामीण परिवार व्यवस्था में परिवर्तन
 - 7.5.1 परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक
 - 7.5.2 संयुक्त परिवार के टूटने के परिणाम
- 7.6 शहरी पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्तन
 - 7.6.1 शहरी परिवेश में परिवार
 - 7.6.2 परिवर्तन की दिशा
 - 7.6.3 कुछ उभरती प्रवृत्तियाँ
- 7.7 सारांश
- 7.8 शब्दावली
- 7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें
- 7.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इस इकाई में हम भारत में बदलते पारिवारिक प्रतिमानों की चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप:

- परिवार की विवेचना कर सकेंगे;
- इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कर सकेंगे;
- पारिवारिक पद्धति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- पारंपरिक संयुक्त परिवार पद्धति में परिवर्तनों की परीक्षा कर सकेंगे; और
- भारत की ग्रामीण और शहरी पारिवारिक पद्धति में परिवर्तनों का विश्लेषण कर सकेंगे।

7.1 प्रस्तावना

इस खंड की पिछली इकाइयों में आपको सामाजिक जनसांख्यिकी, देशांतरण और शहरीकरण के विभिन्न आयामों से परिचित कराया गया है। इस इकाई में हम भारत की

बदलती पारिवारिक संरचना की चर्चा करेंगे। यह इकाई परिवार की परिभाषा और प्रकार पर एक छोटी बहस से शुरू होती है। औद्योगीकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण सामाजिक कारक हैं, जो भारत की पारंपरिक संरचना को प्रभावित करते हैं। इन कारकों की संक्षिप्त चर्चा के साथ भाग 7.3 में पारिवारिक संरचना में परिवर्तन को समझने के लिए दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। भाग 7.4 में भारत के सम्मिलित परिवार पद्धति में हो रहे परिवर्तनों की चर्चा की गई है। भाग 7.5 में ग्रामीण पारिवारिक पद्धति में हो रहे परिवर्तनों का परीक्षण किया गया है। इस परिच्छेद में ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों और ग्रामीण परिवार के टूटने के परिणामों की चर्चा की गई है। शहरी पारिवारिक पद्धति और इसके विभिन्न स्वरूपों का परीक्षण भाग 7.6 में किया गया है।

7.2 परिवार : परिभाषा और प्रकार

ई.एस.ओ. - 02 के खंड 2, इकाई 6 में हमने भारत की पारिवारिक संस्था की विस्तार में चर्चा की है। वहाँ हमने एकल और संयुक्त परिवार के मध्य अटूट क्रम की विवेचना की है। इस इकाई में हम भारत की पारिवारिक पद्धति में परिवर्तनों के रूप और दिशा की चर्चा करेंगे। आइए, इसकी परिभाषा और प्रकार से आरंभ करें।

7.2.1 परिभाषा

सामान्यतया एक परिवार, खासकर कोई प्राथमिक परिवार को माता-पिता और उनके बच्चों के साथ एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किंतु परिवार के संयोजन में प्राप्त प्रकार की दृष्टि से यह परिभाषा प्रायः अपर्याप्त है। 1963 में बोहनान ने अपने परिवार की परिभाषा में परिवार की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक भूमिका पर जोर दिया। उनके अनुसार, “परिवार, लैंगिक और वैवाहिक संबंधों से संबंधित लोगों एवं वंश परंपरा और संगोत्रियों का समूह है, एकल परिवार से बड़े हर परिवार में वैसे लोग होते हैं, जो द्वितीयक संबंधों, यथा – प्राथमिक संबंधों की श्रृंखला से जुड़े हों, से सम्पर्कित हैं”।

dk'Bd 1% i fjokj dh fo'k'krk, a

आज परिवार की परिभाषा क्या है, इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए विलियम जे.गूडे (1989) ने निम्नांकित गुणों को प्रतिपादित किया:

- क) कम से कम दो भिन्न लिंगी वयस्क साथ-साथ रहते हों,
- ख) वे श्रम विभाजन के अनुसार कार्य करते हों, न कि एक ही कार्य में दोनों लगे हों,
- ग) वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक आदान-प्रदान में लिप्त हों, एक-दूसरे के मददगार हों,
- घ) वे अनेक वस्तुओं का समान रूप से उपभोग करते हों, यथा – भोजन, संभोग, आवास और सामाजिक गतिविधियाँ,
- च) वयस्कों का बच्चों के साथ माता-पिता का संबंध हो, जैसा कि बच्चों का उनके साथ वात्सल्य हो, माता-पिता का बच्चों के ऊपर कतिपय अधिकार हों और वे एक-दूसरे में सहभागिता करते हों, जबकि उनकी सुरक्षा, सहयोग और पोषण की कुछ जिम्मेदारियाँ भी हों,
- छ) बच्चों में सहोदर का संबंध हो और एक-दूसरे के साथ सहभागिता, सुरक्षा और सहयोग का दायित्व हो।

व्यक्ति एक-दूसरे के साथ कई प्रकार के संबंध स्थापित कर सकते हैं किंतु अगर उनका निर्बाध क्रम से जारी सामाजिक संबंध यहाँ दिए गए कुछ या सभी भूमिका प्रतिमानों से तारतम्य स्थापित करता है, तो उन्हें परिवार की दृष्टि से देखा जा सकता है।

7.2.2 परिवार के प्रकार

परिवार के संयोजन के आधार पर तीन प्रकार के परिवार होते हैं।

क) ,dy परिवार

परिवारों में सबसे मौलिक परिवार को पैदायशी या एकल या प्राथमिक या सरल परिवार कहा जाता है जिसमें एक विवाहित पुरुष-1, स्त्री और उनके बच्चे होते हैं। खास स्थितियों में, कभी-कभी एक या अधिक अन्य व्यक्ति भी साथ रहते हुए पाए जाते हैं।

समय के अंतराल में परिवार की संरचना में परिवर्तन होता है। अक्सर अतिरिक्त व्यक्ति यथा – बूढ़े माता-पिता या अविवाहित भाई-बहन भी एकल परिवार में साथ रह सकते हैं। यह एकल परिवार में निवासियों के प्रकारों की वृद्धि कर सकता है। भारत के संयुक्त परिवार की प्रकृति की चर्चा करते हुए पौलीन कोलेन्डा (1987) ने एकल परिवार संरचना के बढ़ेत्तरी/रूपांतरणों की चर्चा की है। वह निम्नांकित संयोजनीय प्रकारों को निरूपित करती हैं:

- i) एकल परिवार: बच्चे के साथ या बिना बच्चे के किसी दंपति को इंगित करता है।
- ii) संपूरक एकल परिवार: किसी एकल परिवार को चिह्नित करता है साथ ही साथ उनके अविवाहित बच्चे के अतिरिक्त एक या अधिक, अविवाहित, पृथक या विधवा संबंधी।
- iii) उप-एकल परिवार: को पूर्व के एकल परिवार के हिस्से के रूप में चिह्नित किया जाता है, उदाहरण के लिए, एक विधवा/विधुर अपने अविवाहित बच्चों या सहोदरों (अविवाहित) के साथ रहते हुए, के रूप में।
- iv) एक व्यक्ति परिवार।
- v) संपूरक उप-एकल परिवार: संबंधियों के समूह एवं कुछ अन्य अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा संबंधी जो एकल परिवार के सदस्य नहीं थे। उदाहरण के लिए, एक विधवा और उसके अविवाहित बच्चे अपनी विधवा सास के साथ रह सकती हैं।

भारतीय संदर्भ में इन सारे प्रकार के परिवारों का होना सरल है। तथापि, सामाजिक मान्यताओं और मूल्यों के रूप में ये प्रकार संयुक्त परिवार पद्धति से संबंधित हैं (ई.एस. ओ.-02, इकाई 6)।

नयामिक परिवार, अणु में परमाणु की तरह अक्सर जुड़े होते हैं। यह व्यापक योग में परिसारित होता है। यद्यपि इस तरह के परिवारों को अक्सर संयोजित परिवार के रूप में इंगित किया जाता है। उनके संरचनात्मक गुणों के आधार पर उन्हें दो विशिष्ट प्रकारों, यथा – 1) बहुपत्नी परिवार, और 2) विस्तृत परिवार के रूप में विभाजित किया जाता है।

ख) बहुपत्नी परिवार

सामान्यतया दो या दो से अधिक एकल परिवारों के बहुविवाह द्वारा जुड़ने से निर्मित होता है। हमारे समाज में ऐसे परिवारों की संख्या सीमित है। मौलिक रूप से दो प्रकार के बहुपत्नी परिवार होते हैं, जो विवाहों के चार प्रकारों पर आश्रित होते हैं। जैसे – बहुविवाह, एक से अधिक पत्नियों के साथ एक पति और बहुपति जैसे एक ही समय में एक से अधिक पतियों के साथ।

ग) विस्तृत परिवार

दो या दो से अधिक एकल परिवारों के पिता-पुत्र संबंध पर आधारित होकर जुड़ने से निर्मित होता है। इसमें पूर्व वाले को लम्बवत् विस्तृत परिवार और बाद वाले को अनुप्रस्थ विस्तृत परिवार की संज्ञा दी जा सकती है। एक विशेष-पितृसत्तात्मक परिवार में एक ज्येष्ठ पुरुष अपने पुत्र और पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों के साथ होते हैं। आपको यह जानने की उत्सुकता होगी कि संयुक्त परिवार में संयुक्तता किस प्रकार स्थापित होती है। सामान्यतया संयुक्तता को कतिपय कारकों में चित्रित किया जाता है, जैसे – एक ही रसोई में खाना बनना, समान आवास, संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व, सहयोग और समान भावना, समान धार्मिक बंधन इत्यादि। आपको यह जानने की उत्सुकता भी होगी कि संयुक्त परिवार का संयोजन कौन करता है। यह निकट का संबंध है। अतः पौलीन कोलेंडा (1987) भारत में निम्नांकित प्रकार के संयुक्त परिवारों को इंगित करते हैं :

- i) सगोत्र संयुक्त परिवार में दो या अधिक विवाहित युग्म होते हैं जिनके मध्य सहोदरज बंधन होता है।
- ii) संपूरक सगोत्र संयुक्त परिवार एक संगोत्र संयुक्त परिवार है जिसमें तलाकशुदा और विधवा संबंधी भी साथ होते हैं।
- iii) वंशज संयुक्त परिवार वंशज संबंध के साथ दो दंपतियों को समाहित करता है, जैसे— एक दंपति और उनके विवाह पुत्रों या दंपति और उनके विवाहित पुत्रियों के मध्य।
- iv) संपूरक वंशज संयुक्त परिवार एक वंशज संयुक्त परिवार है, जिसमें अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा ऐसे संबंधी जो वंशानुक्रम से किसी एकल परिवार के भाग नहीं हैं।
- v) वंशज सगोत्र संयुक्त परिवार तीन या अधिक वंशज और गोत्र से संबंधित दंपतियों से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए, दो या अधिक विवाहित लड़कों और उनके अविवाहित बच्चों के साथ वृद्ध माता-पिता का परिवार।
- vi) संपूरक वंशज-संगोत्र संयुक्त परिवार में वंशज-संगोत्र संयुक्त परिवार के सदस्यों के साथ वैसे अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा संबंधी जो किसी एकल परिवार से नहीं जुड़े हैं, (वंशानुक्रमिक और गोत्र से नहीं जुड़े हैं), साथ-साथ रहते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे परिवार को लिया जा सकता है जिसमें गृहपति की विधवा बहन या भाई या अविवाहित भतीजा इत्यादि उसके विवाहित लड़कों, उनके अविवाहित संतानों के साथ रह रहे हों।

उपर्युक्त विवेचन ने आपको भारत के वर्तमान विस्तृत पारिवारिक संरचना का एक व्यापक चित्र दिया होगा। इस इकाई में हम बदलती पारिवारिक संरचना की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कि हम इस विवाद में लगे, हमें उन सामाजिक कारकों की पहचान कर लेनी चाहिए, जो पारिवारिक संरचना को प्रभावित करते हैं। निम्नांकित भाग में हम इन कारकों की चर्चा करेंगे। उसके पूर्व आपको अपनी प्रगति को परखने का अभ्यास पूर्ण कर लेना चाहिए।

बोध प्रश्न 1

- 1) निम्नांकित में से कौन-सा परिवार का गुण नहीं है :
 - क) कम से कम दो विपरीत लिंग के लोग साथ-साथ रहते हों।
 - ख) ये श्रम विभाजन के आधार पर कार्यरत हों।
 - ग) वे अनेक प्रकार के आर्थिक और सामाजिक आदान-प्रदान में लिप्त हों।
 - घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

- 2) किसी बहुपति परिवार में
- क) एक ही समय में एक स्त्री के साथ एक से अधिक पति रहते हों ।
 - ख) एक ही समय में एक पुरुष के साथ एक से अधिक पत्नियाँ रहती हों ।
 - ग) एक ही समय में एक पुरुष के साथ एक स्त्री रहती हो ।
 - घ) एक निःसंतान विवाहित दंपति रहते हैं ।
- 3) विस्तृत परिवार
- क) सिर्फ ऊपर से नीचे विस्तृत हो सकता है ।
 - ख) सिर्फ केवल क्षैतिज रूप से विस्तृत हो सकता है ।
 - ग) ऊपर से नीचे और केवल क्षैतिज दोनों ही रूप से विस्तृत हो सकता है ।
 - घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं ।

7.3 पारिवारिक संरचना को प्रभावित करने वाले कारक

अंतर्संबंधित कारकों यथा – आर्थिक, शैक्षणिक, विधीय और जनसांख्यिकी यथा – जनसंख्या वृद्धि, देशांतरण और शहरीकरण इत्यादि भारत की पारिवारिक संरचना को प्रभावित करते रहे हैं। निम्नांकित भाग में परिवर्तनों की चर्चा करते हुए हम इन कारकों को विश्लेषित करेंगे। यहाँ हम औद्योगीकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण जैसे पारिवारिक संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों के विस्तृत सामाजिक प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे ।

7.3.1 औद्योगीकरण

ऐसे अनेकों प्रकाशित सामग्रियाँ हैं, जो यह प्रदर्शित करती हैं कि औद्योगीकरण के बलों के उद्भासित होने के कारण पारिवारिक संरचना में परिवर्तन हुए हैं। परिवार का एकलीकरण इसी प्रभाव का परिणाम माना जाता है। ऐसी विवेचना यह मानकर की जाती है कि ऐसे समाजों में गैर-नामिकीय परिवार होते हैं। दृष्टिगत प्रमाण इस मान्यता को हमेशा सत्य नहीं पाते हैं। औद्योगिक संस्थाओं को अपने उचित क्रमिक विकास के लिए मानव समूहों की आवश्यकता होती है। इसके कारण लोग औद्योगिक क्षेत्रों की ओर देशांतरण कर संग्रहित होते हैं और पारिवारिक परिवेश में कतिपय विशिष्ट प्रकारों का निर्माण होता है। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि औद्योगीकरण के कारण परिवार की बदलती संरचना में निश्चित दृष्टिगत प्रवृत्तियों के बावजूद, अब तक यह संभव नहीं हो सकता है कि कोई स्पष्ट संबंध स्थापित किया जा सके।

7.3.2 शहरीकरण

पारिवारिक संरचना पर शहरीकरण के प्रभावों की अधिकांश चर्चाओं में एक विशिष्ट अवलोकन स्पष्टतया सामान्य है : कि शहरीकरण के परिणामस्वरूप संयुक्त परिवार की संरचना अत्यधिक दबाव में है और अनेकों स्थितियों में इनमें से एकलीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जहाँ इस प्रवृत्ति की वास्तविकता पर कोई संदेह नहीं है, वहीं यह भी ज्ञातव्य है कि इस प्रभाव के पूर्व पारंपरिक आदर्श संयुक्त परिवार मात्र पारिवारिक प्रकार नहीं था। अनेकों अध्ययन यह प्रदर्शित करते हैं कि एकल और संयुक्त दोनों प्रकार की पारिवारिक संरचनाओं ने, किस प्रकार शहरीकरण के परिणामस्वरूप, अनेक प्रकार के परिवारों की उत्पत्ति की है।

7.3.3 आधुनिकीकरण

औद्योगीकरण और शहरीकरण, दोनों आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करते महत्वपूर्ण कारकों की तरह हैं। इस संदर्भ में आधुनिकीकरण, जो अपने में अक्सर औद्योगीकरण और शहरीकरण को समेटे हुए है, की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है। वास्तव में, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक गुणों के साथ आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया से स्वतंत्र रूप से क्रियाशील हो सकता है।

समय के साथ आधुनिकीकरण के बलों के समक्ष अनावृत्त होकर पारिवारिक संरचना में बहुआयामी परिवर्तन आए जिससे इसके अनेक प्रकारों का निर्माण हुआ। ऐसे भी उदाहरण हैं, जबकि इसके प्रभाव में आकर पारिवारिक संरचना में सरलता आ गई है और इसके विपरीत इसमें क्लिष्टता आ जाने के अवसर तो रही ही हैं।

7.3.4 पारिवारिक संरचनाओं में परिवर्तन: एक दृष्टिकोण

भारत में पारिवारिक अध्ययन के महत्वपूर्ण स्वरूपों में से एक यह रहा है कि क्या संयुक्त परिवार पद्धति बिखर रही है? और एक नये प्रकार का एकल परिवार प्रतिमान उभर रहा है। “संयुक्त और एकल परिवार के मध्य द्वैधता का विचार लगभग अवास्तविक सा लगता है। यह हमारे देश के सामाजिक परिवर्तन की तीव्रता में विशेषकर सच जान पड़ता है”। औद्योगीकरण, शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन के संबंध में भारत में संयुक्त परिवार और एकल परिवार के मध्य द्वैधता की बात सोचना अत्यंत कठिन है। वर्तमान संदर्भ में ये वर्गीकरण विशिष्ट नहीं है। सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसे

सामाजिक संबंधों में दृ-टिगत परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । यह परिवर्तन पारिवारिक पद्धति में स्प-ट दृ-टिगोचर होता है । तथापि, हमारी पारंपरिकता की संरचनाओं के कारण ये परिवर्तन आसानी से परिलक्षित किए जा सकते हैं (अगस्टाइन, 1982:3) ।

भारतीय परिवार व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों के आयामों को समझने की इस पृ-ठभूमि में संक्रमण की संकल्पना का उपयोग किया जा सकता है । अगस्टाइन के अनुसार इस संकल्पना के दो आयाम हैं : पूर्वव्यापी (Retrospective) और भावी (Perspective)। पूर्वव्यापी आयाम हमारे पारिवारिक और सामाजिक पद्धति के पारंपरिक भूत को प्रदर्शित करता है, जबकि भावी हमारे पारिवारिक पद्धति में हो रहे परिवर्तनों की दिशा सूचित करता है । इस प्रकार संक्रमण परिवार के उभरते स्वरूपों की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास है (अगस्टाइन, 1982 : 3)।

इस दृ-टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम समकालीन भारत की पारिवारिक पद्धति में परिवर्तन की उभरती प्रवृत्तियों का परीक्षण करेंगे । तथापि, आरंभ में ही इसे स्प-ट कर दिया जाता है कि इतने कम स्थान में हमारे लिए यह संभव नहीं होगा कि इस देश के अनेकों सामाजिक-सांस्कृतिक प्रदेशों के विभिन्न जातियों और आचार समूहों के पारिवारिक पद्धति में हो रहे परिवर्तनों को अलग-अलग अंकित किया जा सके । अतः आपकी विस्तृत जानकारी के लिए हम अपने अन्वे-ण में तीन विस्तृत क्षेत्रों पर केंद्रित होंगे : पारंपरिक विस्तृत परिवार में परिवर्तन, ग्रामीण और शहरी परिवार में परिवर्तन । आइए, विस्तृत पारंपरिक परिवार में हो रहे परिवर्तनों से आरंभ करें ।

VH; kl 1

किसी वृद्ध सदस्य से अपने परिवार के पिछले 40 व-र्षों का इतिहास जानने का प्रयास कीजिए । समय के अंतराल में इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए होंगे । अगर हुए हों, तो इन परिवर्तनों के लिए जवाबदेह कारकों को सूचीबद्ध कीजिए । लगभग दो पृ-ठों में इन परिवर्तनों के संबंध में लिखिए । अगर संभव हो सके तो अपने संयोजक और केंद्र के सहपाठियों से अपने परिणामों पर विचार करें । समाजशास्त्रीय रूप से आप इसे पर्याप्त रुचिकर पाएंगे ।

7.4 । ढ परिवार 0; 0LFkk में परिवर्तन

भारत में विस्तृत परिवार का तात्पर्य संयुक्त परिवार से है । अनेकों सामाजिक-सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद संयुक्त परिवार के आदर्शों की देश भर में अत्यधिक महत्ता है, खासकर हिंदुओं में । तथापि देश के विभिन्न भागों में किए गए अध्ययनों से यह स्प-ट होता है कि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भारत की संयुक्त परिवार प्रथा में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं । किंतु यह वास्तविकता है कि भारतीय समाज के मूल्य और प्रवृत्तियों ने सदियों से संयुक्त परिवार परंपरा का पो-ण किया है और अभी भी यह यहां लोकप्रिय है। कतिपय विद्वानों ने संयुक्त परिवार पद्धति में परिवर्तन चक्र की संकल्पना के रूप में देखा है । संयुक्त परिवार में लड़की की शादी के बाद एक एकल परिवार का उदय होता है, अर्थात् पुत्रबधू के आने के बाद । परिवार बढ़ने की प्रक्रिया के कई कारण होते हैं। भारत के अधिकांश भागों में जहाँ पितृसत्तात्मक परिवार है, सहोदरों की शादी होने तक लड़कों को साथ-साथ रहने की मानसिकता बनी हुई है । शादी होने के बाद ही पृथक होने की प्रवृत्ति उभरती है । इस प्रकार विखंडन की प्रक्रिया आरंभ होती है और संयुक्त परिवार अपेक्षाकृत छोटे परिवारों की इकाइयों में विभक्त होता है, कभी-कभी

एकल इकाइयों में । ग्रामीण प.बंगाल के अपने अध्ययन के आधार पर निकोलस यह नि-क-र्न निकालते हैं कि अगर पिता और उसके विवाहित लड़कों के मध्य संयुक्त परिवार कठिनाई से पृथक होता है, तो भाइयों के मध्य कोई संयुक्त परिवार उतनी ही कठिनाई से बच पाता है । संयुक्त परिवार संरचना में पिता की भूमिका आधारक की होती है । पुरु-सहोदरों में मेल के बावजूद, पिता की मृत्यु के बाद अनेक बातें संयुक्त परिवार को विखंडित करने में कार्यशील हो जाती है, तथापि संपत्ति कभी-कभी संयुक्त भी रह जाती है, परिवार नहीं । (ईश्वरन, 1982:8) ।

आई.पी.देसाई ने अपनी प्रसिद्ध कृति “ सम आसपेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुवा” (1964) में इंगित किया है कि गुजरात में एक आवासीय रूप से एकल समूह सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य गैर-सामाजिक परिवेशों, जो परिश्रम के समाजों के समान नहीं है, में संयुक्त है। उन्होंने परिवार की संरचना को स्वयं की “ गति की प्रवृत्ति” के रूप में परिभाषित किया है । जब गति “ पति, पत्नी और बच्चों की ओर अभिमुख हो तो परिवार को एकल इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और जब गति विस्तृत समूह की ओर अभिमुख हो तो इसे संयुक्त परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है।” उनका मत है कि यद्यपि एकल परिवार हैं, तथापि यह प्रचलित प्रतिमान नहीं है । उनके सैमलिंग में सिर्फ 7 प्रतिशत परिवारों ने एकल परिवार व्यवस्था के पक्ष में इच्छा जाहिर की जबकि लगभग 60 प्रतिशत परिवारों ने संयुक्त परिवार की वाच्छना स्प-ट की ।

ध्यातव्य है कि संयुक्तता के तत्व हर धार्मिक समूहों में पाए जाते हैं । इसमें व्यापारी और कृ-क वर्ग में इस धारणा की मात्रा अधिक है । यह महत्वपूर्ण है कि संयुक्तता के पीछे संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है । कपाडिया ने भी पाया है कि यद्यपि अधिकांश परिवार एकल हैं, किंतु वास्तव में वे क्रियाकलापों में संयुक्त हैं । ये सुविधाएँ परस्पर सहयोग के द्वारा उनके संबंधों को और संपत्ति के अतिरिक्त अधिकारों और कर्तव्यों को भी पो-नित करते हैं । उनके अनुसार, सामान्य रसोई नहीं, अपितु पारस्परिक बंधन, कर्तव्य और अधिकार इत्यादि, समकालीन भारतीय संयुक्त परिवार के महत्वपूर्ण कारक रहे हैं (कपाडिया, 1959 : 250) ।

ईश्वरन् ने अपने दक्षिण भारत के एक गाँव के अध्ययन (1982) में पाया कि 43.76 प्रतिशत एकल (प्राथमिक) परिवार और 56.24 प्रतिशत विस्तृत परिवार (संयुक्त) थे । ग्रामीण सम्मलितता के पद के साथ संपत्ति के अर्थ को संयुक्त करते हैं और उनके विचार में व्यक्ति या तो संयुक्त परिवार का सदस्य होता है अथवा विस्तृत संबंधियों पर आश्रित होता है । वास्तव में, स्वतंत्र एकान्तिक प्राथमिक परिवार उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है और वस्तुतः इसकी वास्तविक उपस्थिति संबंधित समूह पर अत्यधिक निर्भरता के कारण सही है । आदर्श परिवार प्रकार में विस्तृत परिवार धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य आदर्शात्मक बलों के द्वारा प्रत्यारोपित होते हैं । अपने अध्ययनों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर वह इस नि-क-र्न पर पहुँचते हैं कि यद्यपि एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है, शायद अतिशय भौगोलिक और सामाजिक गत्यात्मकता के कारण जो कि आधुनिक हो रहे समाज की चारित्रिक विशेष-ता होती है, ये एकल परिवार बगैर विस्तृत संबंधियों के सहयोग के संपूर्ण पृथकता में नहीं रह सकते हैं (ईश्वरन, 1982 : 20) ।

इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भारत में आधुनिकता की प्रवृत्ति प्रमुख रही है । तथापि, भौतिक पृथक्करण संयुक्तता की भावना की समाप्ति का सूचक नहीं हो सकता है । वर्तमान संयुक्त परिवार से पृथक हो जाने के पश्चात् भी एक-दूसरे के प्रति सहयोग और कर्तव्य की भावना यथावत रही है । अतः हमें भारत की पारिवारिक संरचना के एकलीकरण के स्वरूप को समझने के अतिरिक्त पारिवारिक सदस्यों के मध्य विद्यमान सहयोग की भावना और सामान्य मूल्य और भावनाओं की उपस्थिति को भी जानने की

आवश्यकता है। सहयोग की सीमा और सामान्य मूल्य और भावना की उपस्थिति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पृथक-पृथक हो सकती है। निम्नांकित भागों में हम ग्रामीणी और शहरी पारिवारिक संरचना में परिवर्तन के प्रतिमानों की अलग-अलग चर्चा करेंगे।

बोध प्रश्न 2

- 1) भारत में संयुक्त परिवार के विखंडन पर लगभग छः पंक्तियों की एक टिप्पणी लिखिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) आप किसी परिवार की संरचना को उसकी क्रिया की प्रवृत्ति के संदर्भ में किस प्रकार परिभाषित करेंगे? लगभग पाँच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

7.5 ग्रामीण परिवार 0; 0LFkk में परिवर्तन

विद्वानों ने संयुक्त परिवार को ग्रामीण भारत के विशिष्ट गुण के रूप में पाया है। ये परिवार अनेक शक्तियों के सम्मुख अनावृत्त हैं, यथा – भूमि सुधार, शिक्षा, जनसंचार, नवीन तकनीकी, नव विकास, रणनीतियाँ, शहरीकरण, औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण इत्यादि-इत्यादि। समकालीन ग्रामीण भारतीय पारिवारिक पद्धतियों पर इन बातों का अतिशय प्रभाव पड़ता देखा गया है। आइए, इन बातों को विस्तार में परीक्षित करें।

7.5.1 परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक

i) भूमि सुधार

पूर्व में संयुक्त परिवार के सदस्य सामान्य पैत्रिक संपत्ति, जो वृहदाकार थी, के लिए सामान्यतया साथ-साथ रहते थे। भूमि सुधार नियमों ने भू-धारण पर सीमा निर्धारित कर दिया। अनेक स्थितियों में ऐसा देखने को मिलता है कि इस कानून से बचने के लिए परिवार के प्रमुखों ने कागज पर लड़कों के मध्य सैद्धांतिक विभाजन कर दिया। उनके जीवन काल में लड़के उनके संरक्षण में रहे या उन्होंने अपनी सक्षमता के बल पर सबों को साथ रखा, अन्यथा लड़के क्रमशः अपने माता-पिता से पृथक होते चले गए। इस प्रकार सैद्धांतिक विभाजन का रूप लेता चला गया और पृथक निवास का

बीज बोता चला गया (लक्ष्मीनारायण, 1982 : 44)। पुनश्च, अनेक स्थितियों में भूमि सीमा कानून के लागू होते ही संयुक्त परिवार में वास्तविक विभाजन होता चला गया।

ii) शिक्षण और लाभकर रोजगार]

शिक्षण, औद्योगिक और शहरीकरण ने ग्रामीणों के लिए गाँव से बाहर लाभकर रोजगार के मार्ग प्रशस्त किए। आरंभ में संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर गए। सफलतापूर्वक शिक्षा ग्रहण कर उनमें से अधिकांश लोगों ने शहरों में ही नौकरी कर ली अथवा रोजगार के अन्य स्रोतों से जुड़ गए। शादी-शुदा होकर वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं रहने लग गए। क्रमशः ऐसी पृथक इकाइयाँ एकल परिवार बन गईं। तथापि, अधिकांश स्थिति में ऐसे एकल परिवार के सदस्य पैदायशी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करते हुए सम्पर्कित रहे।

iii) ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक परेशानियाँ

भारत की ग्रामीण विकास रणनीतियों का उद्देश्य है – गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन, जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना और सभी ग्रामीण लोगों के साथ सामाजिक न्यायपूर्ण स्थिति में आर्थिक विकास। तथापि वास्तव में इसके कारण प्रादेशिक असंतुलन में वृद्धि, वर्ग असमानता में कटुता और निम्न तबके के ग्रामीणों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में विपरीत प्रभाव पड़ा है। पिछड़े क्षेत्रों में जीवन-यापन के लिए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इन क्षेत्रों के लोग शहरी क्षेत्रों में पलायन करने को बाध्य हो रहे हैं। इस पलायन के कारण पारिवारिक संरचना पर प्रभाव पड़ा है। आरंभ में लोग अकेले जाते हैं। तब वे अपने परिवार को लाते हैं और अंततः वे अपने पैदायशी परिवार से आवासीय रूप से पृथक हो जाते हैं।

iv) बढ़ता व्यक्तिवाद

ग्रामीणों के एक खास वर्ग में व्यक्तिवाद का विचार बढ़ रहा है। जन संचार के माध्यमों का प्रवेश, (यथा – अखबार, दूरदर्शन, रेडियो आदि) औपचारिक शिक्षा, उपभोक्ता संस्कृति और बाजार इत्यादि बलों में व्यक्तिवाद को बढ़ाने में पर्याप्त योगदान दिया है। ग्रामीण लोग और ग्रामीण संयुक्त परिवार के सदस्य अपनी वैयक्तिकता में ज्यादा ही विश्वास करने लग गए हैं। अतीत में परिवार का आकार अपेक्षाकृत बड़ा था। संबंधियों का आकार और कर्तव्य विस्तृत था। यह मान्य तथ्य था कि संबंधियों को आश्रय देना आम बात थी। आजकल हर व्यक्ति अपना जीवन स्तर सुधारना चाहता है और परिवार तथा कुल से बाहर अपनी हैसियत बढ़ाना चाहता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति पर कम से कम पारिवारिक दबाव और कर्तव्यों की बाध्यताएँ हों (लक्ष्मीनारायण, 1982: 46)। यह परिस्थिति लड़कों की शादी होने और परिवार में बहुओं के आने पर तीव्र गति से विकसित होती है। अनेक स्थितियों में एक शिक्षित व्यक्तिवादी बहू और बूढ़ी सास के मध्य मूल्य संघर्ष के कारण संयुक्त परिवार प्रथा में विघटन आरंभ होता है।

7.5.2 । ढर परिवार के टूटने के परिणाम

ग्रामीण पारिवारिक संरचना में संक्रमण का पारिवारिक सदस्यों की भूमिका और प्रस्थिति पर कतिपय महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है संयुक्त परिवार के मुखिया का घटता स्वामित्व। किसी पारंपरिक संयुक्त परिवार में स्वामित्व सर्वश्रेष्ठ पुरुष सदस्य का होता है। परिवार के कई इकाइयों में विघटित होने से उन एकल परिवारों में संबंधित सर्वश्रेष्ठ पुरुष सदस्यों के रूप में नये स्वामित्व के केंद्र उभरते हैं। शिक्षित और

व्यक्तिवादी युवा पीढ़ी द्वारा भी कई बार स्वामित्व को चुनौती मिलती है। स्वतंत्रता और व्यक्तिवादिता के आधुनिक विचारों से भरे युवक पारंपरिक स्वामित्व के प्रति विरोध जाहिर करते हैं।

संयुक्त परिवार में विखंडन के पश्चात् और भी, पहले जिसका पारिवारिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं था, अपरिमित जवाबदेहियों के साथ गृहस्वामिनी बनकर भार वहन करने लगीं। संक्रमण की इस प्रक्रिया में सर्वाधिक बूढ़ी महिला भी अपना अधिकार खोने लगीं। अनेकों युवतियों ने अपनी सासों की स्वामित्व की प्रवृत्ति को ललकारा। इसी प्रकार अनेकों पारंपरिक सासों ने भी अपनी बहुओं में बढ़ रहे असमानुपातिक व्यक्तिवादिता द्वारा उत्पन्न अवांछित परिस्थिति का सामना किया है।

संयुक्त परिवार के टूटने से वृद्ध विधवा, विधुर और परिवार के अन्य आश्रितों ने भी गंभीर समस्याओं का सामना किया। संयुक्त परिवार से इन लोगों को आश्रय और सुरक्षा मिलती थी। इसके विघटन के बाद वे स्वयं के भरोसे छोड़ दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धों के लिए सेवा केंद्र और अनाथों के लिए बाल आश्रमों की व्यवस्था का अभाव है। अतः उनकी अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई। अनेकों विधवाएँ और विधुर, बच्चे, वृद्ध दंपति भिखमंगों की स्थिति में आ गए। इनमें से अनेकों लोग तीर्थस्थलों में भीख माँगने लगे और वही उनका सामाजिक सुरक्षा और मानसिक शांति केंद्र बन गया।

बोध प्रश्न 3

- i) भारत में संयुक्त परिवार प्रथा पर भूमि सुधार के प्रभावों की चर्चा कीजिए। लगभग पाँच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ii) संयुक्त परिवार पर जनसंचार का क्या प्रभाव पड़ा?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7.6 शहरी पारिवारिक षु; 0LFkk में परिवर्तन

भारतीय शहरी पारिवारिक संरचना पर अनेक अध्ययन किए गए हैं। टी.के. उम्मेन (1982) ने इन अध्ययनों का सर्वे करने के बाद बताया कि इनमें से अधिकांश अध्ययन एक मात्र प्रश्न

से प्रभावित रहे हैं : क्या शहरीकरण के कारण भारत की संयुक्त परिवार प्रथा टूट रही है और एकलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है ? समाजशास्त्रियों के एक समूह ने इस अवधारणा को निर्विवाद तत्व माना है कि संयुक्त परिवार प्रथा टूट रही है और शहरी क्षेत्रों में एकल इकाइयों के निर्माण की दिशा में इसकी प्रवृत्ति है । जबकि अन्य समूह की धारणा है कि आवासीय पृथक्करण के बावजूद संयुक्त परिवार का आचार और संबंधों के प्रति लगाव अब भी यथावत् है ।

7.6.1 शहरी परिवेश में परिवार

विद्वानों का मत है कि औद्योगिकरण शहरीकरण के कारण संयुक्त परिवार संरचना में विघटन नहीं हुआ है । मिल्टन सिंगर (1968) ने मद्रास सिटी के उद्योगपतियों के मध्य संयुक्त परिवार संरचना का अध्ययन किया और पाया कि संयुक्त परिवार प्रथा उद्यमशीलता के विकास में रुकावट नहीं है । बल्कि इसने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया है और अपनाया है । ऑरेंस्टेन ने अपने हाल के अध्ययन “रीसेंट हिस्ट्री ऑफ एक्सटेन्डेड फ़ैमिली इन इंडिया” में 1811 से लेकर 1951 तक के जनगणना के आँकड़ों का अध्ययन किया है और पाया है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत में संयुक्त और विस्तृत परिवार विलुप्त नहीं हो रहे हैं । तथापि, संयुक्त परिवार संरचना की उपस्थिति विभिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न है । रामकृ-ण मुखर्जी की मान्यता है कि (क) रा-ट्रीय अर्थ तंत्र में और उच्च और मध्य स्तरीय पेशों में संयुक्त परिवार का प्रतिनिधित्व अत्यधिक है, (ख) एकल परिवार की इकाइयाँ शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ज्यादा है । प. बंगाल की पारिवारिक संरचना पर आधारित अपने अध्ययनों के द्वारा वह इस नि-कर्-न पर पहुँचते हैं कि भारतीय समाज की केंद्रीय प्रवृत्ति संयुक्त परिवार संगठन को बरकरार रखना ही है (उम्मेन, 1982 : 60) । परिवार के एकल इकाइयों और आवासीय पृथक्करण इत्यादि के बावजूद संयुक्त परिवार की भावना पूर्ण बलवती है ।

7.6.2 परिवर्तन की दिशा

टी.के.उम्मेन की मान्यता है कि अब शहरी परिवार अंदर से एक लघु समान के रूप में देखा गया है । उनके अनुसार, इसके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए शहरी परिवार को एक विस्तृत सामाजिक संदर्भ में देखना होगा । इस उद्देश्य के लिए शहरी परिवार को जीवन-यापन के उपार्जन और आमदनी के स्रोतों, स्वामित्व की संरचना, शहरी सामाजिक परिवेश और सामाजिक पारिस्थितिकी और उभरते मूल्य प्रतिमानों के आधार पर पृथक करना होगा । भारतीय संविधान में समान, दांपतिक और एकल परिवारों के प्रकारों की पहचान की गई है । असंवैधानिकता के अतिरिक्त सामाजिक-पारिस्थितिकी कारक, यथा – आवासीय प्रतिमान, शहरी देशांतरणों के ग्रामीण सांस्कृतिक-जनुरंजग, आर्थिक इत्यादि संपर्कों के द्वारा शहरी पारिवारिक जीवन क्रम प्रभावित होता रहता है । शहरी केंद्र पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के सम्मिश्रण का स्थान है । शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिवाद तीव्र गति से पनप रहा है । यह परिवार में व्यक्ति की निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वतंत्रता, साथी के चयन, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिग्रहण और व्यवस्थापन में स्वच्छंदता और विवाहोपरांत पृथक परिवार बसाने की अवधारणा का पो-ण करता है । व्यक्तिवादिता यद्यपि, संयुक्त परिवार की भावना के प्रतिकूल है और सर्वश्रे-ठ पुरु-न के स्वामित्व को चुनौती देता है, तथापि मूल्य पदानुक्रमिकता और व्यक्तिवादिता पर विरोधाभा-नी दबाव पड़ सकता है । यह शहरी पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है । तथापि उपर्युक्त वर्णित कारकों का प्रभाव शहरी क्षेत्रों के वर्गीकरण (महानगर, नगर, शहर आदि) और औद्योगिकरण के विस्तार के आधार पर पृथक-पृथक होता है । इन सब के साथ-साथ परिवार का पारंपरिक सांस्कृतिक प्रतिमान भी जारी रहता है । आमदनी के आधार पर शहरी परिवार को मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया

जाता है। इन परिवारों के अपने विशि-ट सामाजिक-सांस्कृतिक और पारिस्थितिक परिवेश, पारिवारिक स्वामित्व के प्रतिमान और मूल्य होते हैं। शहरीकरण के बलों ने इन परिवारों को बहुविध प्रभावित किया है।

- i) **स्वत्वाधिकारी वर्ग के परिवार:** उनका मुख्य संसाधन है – पूँजी वाले परिवार। परिवार के ज्ये-ठ पुरु-न को महत्वपूर्ण स्वामित्व प्राप्त है जो संपत्ति का स्वामी होता है और उसे नियंत्रित करता है। ये अधिकांश संयुक्त परिवार होते हैं। सामाजिक रूप से वे स्थानीय लोग हैं या किसी क्षेत्र के पुराने देशांतरित हैं, जिनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है। इन परिवारों में पारंपरिक पदानुक्रमिकता स्वीकार्य है और व्यक्तिवादिता आरंभिक अवस्था में है।
- ii) **उद्यमी पेशेवर वर्ग के परिवार:** इन परिवारों के मौलिक संसाधन हैं – पूँजी और विशेष-ज्ञता/कुशलता और आमदनी बढ़ाने के उनके निवेश। छोटे वाणिज्यिक/व्यापारिक/औद्योगिक संगठन जो इन परिवारों द्वारा अधिगृहीत और प्रबंधित होते हैं, इस वर्ग में आते हैं। वयस्क पुरु-नों का स्वामित्व कम होता है। यद्यपि स्वभाव में ये परिवार संयुक्त है तथापि वयस्क लड़कों की शादी के साथ इनमें विखंडन की प्रवृत्ति होती है। सामाजिक रूप से उनमें से अधिकांश स्थानीय और पुराने देशांतरित हैं। तथापि उनमें नये देशांतरित भी समाहित होते हैं। इन परिवारों में पदानुक्रमिकता और पारंपरिक स्वामित्व को चुनौती दी जा रही है और व्यक्तिवादिता स्प-ट परिलक्षित होती है।
- iii) **सेवा वर्ग के परिवार:** ये परिवार सेवा क्षेत्र में अपनी विशेष-ज्ञता, कुशलता और श्रम शक्ति बेचकर अपनी आमदनी करते हैं। यह वर्ग तीन उप-वर्गों में विभाजित है :
 - क) **सेवा क्षेत्र के परिवार:** उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत है पेशेवर, प्रबंधकीय या प्रशासनिक विशेष-ज्ञता। इन परिवारों में पुरु-न और वृद्ध सदस्यों का स्वामित्व स्थायी नहीं है। नवस्थानिक एकल परिवार, प्रमुख प्रतिमान होते हैं। सामाजिक रूप से उनमें से अधिकांश विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक प्रदेशों से आये नव देशांतरित हैं। इन परिवारों में पदानुक्रमिकता क्षीण होती है, व्यक्तिवादिता प्रबल।
 - ख) **सेवा क्षेत्र के परिवार:** उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत प्रशासनिक कुशलता और अर्ध पेशेवर विशेष-ज्ञता होती है। परिवार में स्त्रियों के योगदान, कार्य से सेवानिवृत्ति और लड़कों, लड़कियों पर निर्भरता के कारण विकेंद्रित स्वामित्व होता है। आश्रित सगे-संबंधियों के साथ ये परिवार नव-स्थानिक परिवार हैं। सामाजिक रूप से वे विभिन्ना संस्कृतियों और नव-प्राचीन देशांतरितों के सम्मिश्रण हैं। पारंपरिक स्वामित्व और पदानुक्रमिकता को इनमें चुनौती मिलती है और व्यक्तिवादिता क्रमशः विकसित हो रही है।
 - ग) **सेवा क्षेत्र के श्रमिक परिवार:** उनकी आमदनी का एकमात्र साधन है – श्रम शक्ति। ये आवश्यक रूप से एकल परिवार हैं। तथापि गरीबी के कारण वे सगे-संबंधियों के साथ रहते हैं। आर्थिक योगदान के आधार पर उनमें स्वामित्व का निर्धारण होता है। वे स्थानीय, नव-प्राचीन देशांतरितों के सम्मिश्रण हैं। इन परिवारों में व्यक्तिवादिता की उत्पत्ति के साथ ही पदानुक्रमिकता विखंडित हो जाती है।

उपर्युक्त वर्णित परिवारों में हो रहे परिवर्तनों का विश्ले-ण यह दिखाता है कि परिवर्तन के बलों ने इन परिवारों को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। पुराने देशांतरित और स्थानीय

लोग जो अपने पारिवारिक पूँजी निवेश के माध्यम से आमदनी करते हैं, ने पारंपरिक स्वामित्व को स्वीकार किया है। वहाँ अभी व्यक्तिवादिता का प्रवेश नहीं हो पाया है। एकलीकरण की प्रवृत्ति नव देशांतरितों और सेवा क्षेत्र के परिवारों में ही ज्यादा है। उनमें विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण व्यक्तिवादिता का भी विकास हुआ है। टी.के. उम्मेन यह इंगित करते हैं कि शहरी परिवारों के इन प्रकारों में अतिव्यापन की संभावना है।

7.6.3 कुछ उभरती प्रवृत्तियाँ

त्वरित तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में भारत के शहरी समाज में पारिवारिक जीवन का प्रतिमान भिन्न-भिन्न रहा है। आजकल ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में जीवन, कुछ दशक पूर्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा जटिल हो गया है। रोजगार के लिए अनेकानेक ग्रामीण युवक अपनी पत्नी और बच्चों को अपने पैदायशी परिवार को छोड़कर शहर जा रहे हैं। यहाँ उनका कोई स्वागत नहीं होता है। उनका वहाँ के किसी परिवार में अधिक दिन रहना तनाव उत्पन्न करता है। शहरी समाज के निम्न वर्गों में, यद्यपि, ग्रामीण देशांतरितों को समायोजित बहुत हद तक कर लिया जाता है। 1991 की जनगणना भारत की बदलती पारिवारिक संरचना को उजागर करती है। आँकड़े यह दिखाते हैं कि यद्यपि, परिवार का एकलीकरण एक प्रमुख घटना रही है, शहरी क्षेत्रों में संयुक्त परिवार का भी विस्तार हो रहा है। विशेष-ज्ञ बताते हैं कि संयुक्त रहने की घटनाओं का विकास अधिकांशतः ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों में देशांतरण के कारण और उनका अन्य देशांतरितों के साथ रसोई और आवास में सहभागिता के कारण है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, अनेक दंपति लाभप्रद रोजगार में लगे हैं। ये कामगार युगल बच्चों के संरक्षण इत्यादि के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। संयुक्त परिवार के संरचनात्मक विखंडन के साथ कामगार युगलों को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में स्वामित्व और मूल्य के पुराने संरचना को चुनौती दी गई है। व्यक्तिवादिता का विकास व-र्गे पुरानी पदानुक्रमिक स्वामित्व के औचित्य पर प्रश्न चिह्न लगाती है। पुरानी मूल्य पद्धति भी पर्याप्त परिवर्तित हो गई है। यद्यपि परिवर्तन की इस प्रक्रिया ने पारस्परिक सम्मान, स्नेह और एक ही परिवार के विभिन्न पीढ़ियों के मध्य लगाव को क्षीण कर दिया है, उपभोक्ता संस्कृति के प्रवेश ने परिस्थिति को और भी दारुण बना दिया है। पीढ़ियों के मध्य की दूरी ने वृद्धों की एक बड़ी संख्या को कुंठित, त्याजित और अवांछित बनाकर रख दिया है। चूँकि भावनात्मक बंधन कमजोर पड़ गया है, अतः अनेक युवक परिवार में अपनी पहचान की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं और वे भावनात्मक लगाव के अभाव में कुंठाग्रस्त हो शराब और नशीले पदार्थों के सेवन के आदी होते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार भावना का दृ-टिकोण जिसे समाजशास्त्रियों ने आवश्यक माना है, हमारे समाज में हो रहे परिवर्तन के संदर्भ में हमेशा प्रभावकारी नहीं हो पाता है।

बोध प्रश्न 4

सही उत्तर पर टिक (✓) का निशान लगाइए।

i) मिल्टॉन सिंगर के अनुसार संयुक्त परिवार प्रथा:

- क) उद्यमिता विकास में बाधक नहीं रहा है,
- ख) उद्यमिता विकास में बाधक रहा है,
- ग) व्यापारी वर्ग विखंडित हो रहा है,
- घ) सेवा वर्ग में प्रमुख प्रतिमान है।

- ii) रामकृ-ण मुखर्जी के अनुसार एकल परिवार की संख्या है:
- क) ग्रामीण क्षेत्रों में,
 - ख) शहरी क्षेत्रों में,
 - ग) इन दोनों क्षेत्रों में,
 - घ) उपर्युक्त किसी क्षेत्र में नहीं ।
- iii) टी.के.ऊम्मेन ने शहरी परिवारों का विभाजन किया:
- क) आमदनी के माध्यमों और बदलते मूल्य प्रतिमान के द्वारा,
 - ख) स्वामित्व की संरचना के द्वारा,
 - ग) शहरी और सामाजिक परिवेश और सामाजिक पारिस्थितिकी के द्वारा,
 - घ) उपर्युक्त सभी के द्वारा ।

7.7 सारांश

इस इकाई में हमने विभिन्न प्रकार के परिवारों को परिभाषित और विवेचित किया है । हमने विभिन्न कारकों, यथा – शहरीकरण, औद्योगीकरण और आधुनिकीकरण जैसे भारत की पारिवारिक संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों को भी विवेचित किया है । पारंपरिक संयुक्त परिवार पद्धति में हो रहे परिवर्तनों को भी व्याख्यायित किया गया है । शहरी और ग्रामीण भारत के परिवार विकास और परिवर्तन के बलों द्वारा विभिन्न रूप से प्रभावित हुए हैं। हमने ग्रामीण और शहरी परिवारों में हो रहे परिवर्तनों की चर्चा पृथक-पृथक की है । ग्रामीण परिवारों के लिए परिवर्तन के लिए जवाबदेह कारकों और संयुक्त परिवार के विघटन के प्रभावों की चर्चा की है । अंत में, शहरी पारिवारिक संरचना में परिवर्तन, इस परिवर्तन की दिशा और कुछ उभरती प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है ।

7.8 शब्दावली

पारिवारिक चक्र: यह इंगित करता है कि पारिवारिक जीवन के तत्व एक खास दिशा में आकार ग्रहण करते हैं । यह परिवार के आवासीय और संयोजी दृ-टिकोणों में विखंडन को आवश्यक रूप से संबंधित करता है ।

नव-स्थानिक आवास: विवाहित युगल की पति के माता-पिता या अन्य संबंधियों के पृथक रहने की प्रथा ।

पितृसत्तात्मक परिवार: परिवार जिसमें सर्वाधिक श्रे-ठ पुरु-ा प्रमुख होता है । इसमें विवाहित युगल की पति के माता-पिता के परिवार में रहने की प्रथा होती है ।

बहुपति विवाह: विवाह का एक रूप जिसमें एक ही समय में एक पत्नी एक से अधिक पतियों से विवाह करती है ।

बहुपत्नी विवाह: विवाह जिसमें एक ही समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह किया जाए। बहु पत्नी विवाह का एक रूप जिसमें पति एक समय में एक से अधिक पत्नियों को रखता है ।

7.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

आगस्टाइन, जे.एस. (सं.) 1982 : *दी इंडियन फ़ैमिली इन ट्रांजिशन* । विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

शाह, ए.एम. 1992 : “चैलेंजेज इन दी इंडियन फ़ैमिली”, योगेश अटल (सं.) *अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी*, हर आनन्द पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली ।

7.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

- 1) घ
- 2) क
- 3) घ

बोध प्रश्न 2

- i) पारंपरिक भारतीय पितृसत्तात्मक परिवारों के लड़के सहोदरों की शादी होने तक परिवार में रह सकते हैं । लड़के इसके बाद पृथक हो जाने की प्रवृत्ति में आ जाते हैं। चूँकि विखंडन की प्रक्रिया होती है और संयुक्त परिवार छोटी-छोटी इकाइयों में कभी-कभी एकल परिवारों में विभक्त हो जाता है ।
- ii) आई.पी. देसाई के अनुसार जब क्रिया पति, पत्नी और बच्चों के अभिमुख होती है तो उस परिवार को एकल इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और जब क्रिया विस्तृत समूह की ओर अभिमुख होती है तो उसे संयुक्त परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

बोध प्रश्न 3

- i) भूमि सुधार ने भू-धारण पर सीमा निर्धारित कर दिया । अनेक स्थितियों में परिवार के प्रमुख ने परिवार का सैद्धांतिक विभाजन कर दिया ताकि भूमि धारण सीमा से बचा जा सके । तथापि क्रमशः लड़के पृथक-पृथक रहने लगे जिसने औपचारिक विभाजन की क्रिया को त्वरित किया ।
- ii) ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंचार के प्रवेश ने व्यक्तिवादिता के त्वरित विकास में पर्याप्त योगदान किया । ग्रामीण लोग अपनी वैयक्तिकता में ज्यादा विश्वास करने लगे । आजकल व्यक्ति अपना जीवन-स्तर सुधारने के प्रयत्न में लीन हैं । यह तभी संभव है जब व्यक्ति को अल्प वचनबद्धता और अल्प दायित्व हों ।

बोध प्रश्न 4

- i) क
- ii) क
- iii) घ

संदर्भ ग्रंथ सूची

- आगस्टन, जे.एस. (संपा.), 1982, *दि इंडियन फैमिली इन ट्रांजिशन*, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली ।
- बार्कले, जी.एम., 1958, *टेकनिक्स ऑफ पापुलेशन एनालिसिस*, जॉन लिवले एंड संस, न्यूयार्क ।
- मांडे, ए.एंड कानिटकर, टी., 1992, *प्रिंसिपल्स ऑफ पापुलेशन स्टडीज*, हिमालयन पब्लिशिंग हाउस, बम्बई ।
- बोंगार्टस जे. एंड पोटर, जी.आर., 1983, *फर्टिलिटी बाइलॉजी एंड बिहैवीयर: एनालिसिस ऑफ दि पराक्सिमेट डिटरीमेंट्स*, अकाडेमिक प्रेस, न्यूयार्क ।
- डेविस के., 1968, *पापुलेशन आफ इंडिया एंड पाकिस्तान रसेल एंड रसेल: न्यूयार्क* ।
- डेविस के. एंड बालके जे., 1956, *सोशल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी: एन अनालिटिकल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज*, वाल्यूम 3 नं. 2
- देसाई, आई.पी., 1964, *सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुवा*, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई ।
- गुडडे डब्ल्यू.जे., 1965, *द फैमिली*, प्रेन्टिस हॉल, नई दिल्ली
- भारत सरकार 1961 *सेंसस ऑफ इंडिया*, 1961, संचार मंत्रालय और प्रकाशन, नई दिल्ली
- , 1971 *सेंसस ऑफ इंडिया*, 1971, संचार मंत्रालय और प्रकाशन, नई दिल्ली
- , 1981 *सेंसस ऑफ इंडिया*, 1981, संचार मंत्रालय और प्रकाशन, नई दिल्ली
- , 1991 *सेंसस ऑफ इंडिया*, 1991, संचार मंत्रालय और प्रकाशन, नई दिल्ली
- भारत सरकार, 1958, *ड्राफ्ट थर्ड फाइव ईअर प्लान*, योजना आयोग, नई दिल्ली ।
- , *ड्राफ्ट फोर्थ फाइव ईयर प्लान*, योजना आयोग, नई दिल्ली ।
- , *ड्राफ्ट सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान*, योजना आयोग, नई दिल्ली ।
- , *ड्राफ्ट सेवेन्थ फाइव ईयर प्लान*, योजना आयोग, नई दिल्ली ।
- , 1990 *हैंड बुक ऑन सोशल वेलफेयर स्टेटिस्टिक्स*, समाज कल्याण विभाग, नई दिल्ली ।
- , *फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया: ईयर बुक 1988-89*, परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली ।
- हेरीटन माईकल
- ईश्वरन् के., 1982, *इंटरडिपेंडेंस आफ एलिमेंटरी एंड एक्सटेंडिड फैमिली*, आगस्टन जे.एस. (संपादक) *दि इंडियन फैमिली इन ट्रांजिशन*, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली ।
- लक्ष्मीनारायन, एच.डी., 1982, *दि रूरल फैमिली ट्रांजिशन*, आगस्टन जे.एस. (संपादक) *दि इंडियन फैमिली इन ट्रांजिशन*, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली ।
- कपाडिया, के.एम., 1955, *मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई ।

कोलेदा पी., 1987, *रीजनल डिपरेंसेज इन फ़ैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया*, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर

भारत सरकार, 1958, *नेशनल सैम्पल सर्वे थर्ड थ राउंड एन.एस.एस.ओ.*, नई दिल्ली
नंदा, ए.आर., 1991, *सेन्सस ऑफ इंडिया सीरीज-1, प्रोविजनल पापुलेशन टोटल्स*, नई दिल्ली ।

मुखर्जी, आर.के., 1965, *सोशियालाजिस्ट्स एंड सोशल चेंज इन इंडिया टुडे*, प्रेंटिस हॉल, नई दिल्ली ।

ऑमेन, टी.के., 1982, *अर्बन फ़ैमिली इन ट्रांजिशन, इन जे.एस. ऑगस्टिन, (संपादक) दि इंडियन फ़ैमिली इन ट्रांजिशन*, विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली ।

आरेंस्टेन एच. 1956, *द रिसेन्ट हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंडेड फ़ैमिली इन इंडिया, सोशल प्रोबलेम्स खंड- VIII N.2: 341-50*

सरमॉक, एच . (संपादक) 1973, *मैथड्स एंड मैटेरियल्स ऑफ डेमोग्राफी*, यू.एस. ब्यूरो ऑफ सेन्सस: वाशिंगटन, डी.सी. वाल्यूम I और II

सिंह, वाई., 1988, *माडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन*, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर

सिंगर, एम., 1968, *दि इंडियन जाइंट फ़ैमिली इन मॉडर्न इंडस्ट्री*, एम.सिंगर (संपा.) स्ट्रक्चर एंड चेंज इंडियन सोसाइटी, अल्डाइन पब्लिकेशन कं. शिकागो ।

यू.एन.ओ., 1973, *दि डिटर्मिनेंट्स एंड कॉसिक्वेन्सस ऑफ पापुलेशन ट्रेंड्स*, वाल्यूम I पापुलेशन स्टेडीज नं. 50, आई.एल.ओ. जिनेवा ।

वर्थ, एल., 1981, *अर्बेनिज्म एज वे ऑफ लाइफ*, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियालॉजी 44 1-24

भारत सरकार 2003 : भारत 2003, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

भारत सरकार 2001, *सेन्सस ऑफ इंडिया*, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

यू.एन.डी.पी. 2003, *ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।